**न्यायालय – विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ0नि0) प्रकरण, राजसमंद**

**पीठासीन अधिकारी – अभिलाषा शर्मा, RJS (DJ Cadre)**

**निगरानी फौजदारी प्रकरण संख्या – 08 सन् 2023**

**(CIS No. 146/2022)**

यागवेन्द्र सिंह पिता श्री पृथ्वीसिंह, उम्र 52 वर्ष, निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमंद।

**––पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, राजसमन्द।
2. श्रीमती कैलाश कुंवर पत्नी स्व. तेजसिंह, उम्र वयस्क,
3. श्रीमती संगीता कुंवर पत्नी पूरणसिंह, उम्र वयस्क,
4. सुश्री गिरजा कुंवर पुत्री स्व. श्री तेज सिंह, उम्र वयस्क,
   उक्त निवासियान खेडियों का कुंआ, पाखण्ड, पुलिस थाना नाथद्वारा, जिला राजसमंद हाल निवासी–प्लॉट नंबर 18, ग्राफिक स्कूल के पास, पंचरत्न कॉलोनी (सनसिटी), गुडली, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद।

**–– गैर पुनरीक्षणकर्तागण**

**निगरानी विरूद्ध आदेश डॉ. ऋचा चायल (आर.जे.एस.) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद जो कि प्रकरण संख्या 357/2020 रे.फौ. राज्य बनाम पूरण सिंह वगैरह में प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 190 द.प्र.स. में दिनांक 12.07.2022 को पारित किया गया**

**उपस्थित :–**

1. श्री हर्षवर्धनसिंह राठौड़ – अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता की ओर से।
2. राजस्थान राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित।
3. श्री रामलाल जाट – अधिवक्ता गैर पुनरीक्षणकर्ता संख्या–3 की ओर से।
4. अधिवक्ता गैर पुनरीक्षणकर्ता संख्या–2 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है।

**आदेश** **दिनांक : 30.03.2026**

1. यह दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका, पुनरीक्षणकर्ता श्री यागवेन्द्र सिंह ने विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 357/2020 रे.फौ. राज्य बनाम पूरण सिंह वगैरह में दिनांक 12.07.2022 को निस्तारित प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 190 दण्ड प्रकिया

संहिता में पारित आदेश से व्यथित होकर दिनांक 16.09.2022 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय राजसमंद के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अंतरित होकर दिनांक 17.05.2023 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. बहस निगरानी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 से 4 के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 381, 120बी भा.द.स. के तहत प्रसंज्ञान लेने हेतु प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 190 द.प्र.स. को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। उक्त प्रकरण में अनुसंधान के दौरान यह जाहिर आया कि अभियुक्त पूरणसिंह ने निगरानीकर्ता की फर्म में लाखों रूपये चुरा कर स्वयं अपने खाते एवं अपनी माता कैलाश कुंवर, पत्नी संगीता कुंवर व बहन गिरजा कुंवर के खाते में पृथक–पृथक राशि जमा करवायी तथा कोटक महिन्द्रा बैंक, नाथद्वारा के बैंक खाते में भी रूपये जमा कराये। उपरोक्त गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 से 4 द्वारा उक्त राशि का दुर्विनियोजन किया जाना साबित हुआ है, जिस संबंध में उपरोक्त व्यक्तियों के बैंक खाता स्टेटमेंट भी पत्रावली पर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विपक्षीगण/गैर निगरानीकर्तागण की इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्त पूरण सिंह के साथ मिलकर पूर्णरूप से षडयंत्रपूर्वक संलिप्तता पायी गयी है। अंत में निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश को अपास्त करने एवं विपक्षीगण/गैर निगरानीकर्तागण संख्या–2 से 4 के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत गैर–निगरानीकर्ता की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक एवं गैर निगरानीकर्ता संख्या–3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा उचित एवं सही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो विधिक रूप से सही एवं तर्कसंगत है। अंत में विचारण न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी याचिका अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों के उपरोक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस निगरानी याचिका के माध्यम से निगरानीकर्ता ने गैर निगरानीकर्ता संख्या–2, 3 व 4 के विरूद्ध धारा 420, 406, 381, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रसंज्ञान लिए जाने का अनुतोष चाहा है। प्रकरण में निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है, उसके अनुसार निगरानीकर्ता की मार्बल माइनिंग कंपनी के नाम से पार्टनरशिप में फर्म झांझर में स्थित है। उक्त फर्म पर करीब 6–7 साल से पूरणसिंह को नौकरी पर रखा हुआ है जो अकाउण्ट का कार्य करता था और समस्त लेन–देन वही करता था। माईन्स के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उसी के पास थे, खाली चैक बुक वगैरह भी उसी के पास थी। वह करीब 50 लाख रूपये तथा दस्तावेज लेकर फरार हो गया है, जिसके साथ कुंदनसिंह भी शामिल है। उक्त रिपोर्ट पर बाद अनुसंधान अभियुक्त पूरणसिंह व कुंदन के विरूद्ध धारा 420, 406, 381, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। यहां इस संबंध में सर्वप्रथम **धारा 415 भारतीय दण्ड संहिता** का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिसके अनुसार –

> ***छल*** *– जो कोई व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे या जानबूझकर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे, जिसे वह यदि उसे प्रत्येक प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होना सम्भाव्य है, वह छल करता है, यह कहा जाता है।*

इसके अतिरिक्त इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **2025 INSC 512 Rikhab Birani and ors. Vs. State of Uttar Pradesh and anr.** में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि -

*"Offence of Cheating ---- Requirement of Mens Rea at Inception ---- The crucial element for establishing the offence of cheating is the presence of a fraudulent of dishonest intention on the part of the accused at the very beginning, i.e., at the time of making the promise or inducement which led to the delivery of property or action/omission by the complainant ---- A mere subsequent failure to fulfil a promise of contractual term, without proof of initial dishonesh intent, does not amount to cheating."*

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **2025 INSC 1151 Arshad Neyaz Khan Vs. State of Jharkhand and anr.** में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि –

*"Cheating and dishonestly inducing delivery of property ---- Ingredients ---- To prove cheating, it must be shown that the accused had a fraudulent or dishonest intention at the time of making the promise or representation ---- Mere failure to keep a promise subsequently does not imply a culpable intention from the beginning ---- In this case, no allegations suggesting intentional deception or dishonest intention at the time of the agreement for sale were found, thus Section 420 was made out."*

7. प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह जाहिर आता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने अनुसंधान में उसकी पत्नी संगीता तथा बहन गिरीजा कंवर के खातों में लाखों रूपये की राशि जमा होना पाया एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त तीनों व्यक्तियों के संबंधित बैंक खातों को फ्रिज़ भी किया गया लेकिन हस्तगत प्रकरण में आरोपी पूरणसिंह की माता कैलाश कुंवर, पत्नी संगीता तथा बहन गिरीजा कंवर द्वारा निगरानीकर्ता को प्रवंचना की गई हो या उस प्रवंचना के पश्चात् परिवादी को कपटपूर्वक या बेईमानी से संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित किया

हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। छल के अपराध में अभियुक्त का प्रारम्भ से ही आपराधिक आशय धोखा देने का रहा हो, यह साबित किया जाना आवश्यक है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में परिवादी /निगरानीकर्ता यागवेन्द्रसिंह, राघवेन्द्रसिंह, दिनेश बडाला, अनंतसिंह, जितेन्द्रसिंह, गौवरसिंह आदि के बयान अंतर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए लेकिन निगरानीकर्ता यागवेन्द्रसिंह सहित समस्त गवाहान ने अपने संपूर्ण बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि आरोपी पूरणसिंह की माता कैलाश कुंवर, पत्नी संगीता तथा बहन गिरीजा कंवर किसी भी प्रकार से आपराधिक षडयंत्र में शामिल रही हो या उनकी उक्त अपराध में किसी प्रकार की सक्रिय भागीदारी रही हो। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता द्वारा कैलाश कुंवर, संगीता तथा गिरीजा कंवर को कोई राशि न्यस्त की गई हो और उनके द्वारा उक्त राशि का दुर्विनियोग कर लिया गया हो, ऐसी भी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पत्रावली पर जो प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य इस संबंध में मौजूद है, उस आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी पूरणसिंह एवं कुंदनसिंह के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। ऐसी दशा में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 190 सीआरपीसी पर सुनवाई कर कारण सहित जो आदेश पारित किया गया है, उसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार इस न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं होता है।

8. उल्लेखनीय है कि निगरानी का दायरा अत्यंत ही सीमित होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में किसी प्रकार की अवैधता, अनिश्चितता एवं अशुद्धता किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है और जब तक विचारण न्यायालय का आदेश प्रकटतः अवैध, अशुद्धत अनुचित एवं क्षेत्राधिकार से परे नहीं हो तब तक उसमें निगरानी की अधिकारिता के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

9. परिणामतः उपरोक्त समस्त विवेचन की रोशनी में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

## आ दे श

10. अतः निगरानीकर्ता/परिवादी यागवेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 357/2020 रे.फौ. राज्य बनाम पूरण सिंह वगैरह में दिनांक 12.07.2022 को पारित आदेश की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब विद्वान विचारण न्यायालय को लौटा दी जावे।

**(अभिलाषा शर्मा)**
**विशिष्ठ न्यायाधीश,**
**एस.सी./एस.टी.एक्ट केसेज, राजसमन्द**

11. यह आदेश आज दिनांक **30.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**(अभिलाषा शर्मा)**
**विशिष्ठ न्यायाधीश,**
**एस.सी./एस.टी.एक्ट केसेज, राजसमन्द**